डीजी-परिपत्र संख्या-26/2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, टावर-2,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002
दिनांकः लखनऊः जून 06 ,2024

विषयः विवेचनाओं के समयबद्ध, त्रुटिहीन एवं गुणवत्तापरक निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि दोषपूर्ण विवेचना होने से जहां अभियुक्तों को इसका लाभ मिलता है वहीं पुलिस विभाग के प्रति पीड़ित/पीड़िता का प्रतिकूल धारणा बनती है। विवेचनाओं के समयवद्ध, त्रुटिहीन एवं गुणवत्तापरक निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर पाश्वांकित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत निर्देशों का सही ढंग़ से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आप सभी का दायित्व है कि यह सुनिश्चित करें कि अपराधिक मामलों में विशेष रूप से जघन्य अपराधों की विवेचना का स्तर उच्च कोटि का हो, जिससे अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाने में मदद मिल सके।

डीजी परिपत्र सं0-10/2024 दि0 07.03.2024
डीजी परिपत्र सं0-26/2023 दि0 04.08.2023
डीजी परिपत्र सं0-21/2023 दि0 15.06.2023
डीजी परिपत्र सं0-34/2022 दि0 08.10.2022
डीजी परिपत्र सं0-40/2021 दि0 20.10.2021
डीजी परिपत्र सं0-36/2021 दि0 23.09.2021
डीजी परिपत्र सं0-28/2021 दि0 19.08.2021
डीजी परिपत्र सं0-06/2021 दि0 19.12.2021
डीजी परिपत्र सं0-24/2020 दि0 20.07.2020
डीजी परिपत्र सं0-53/2019 दि0 19.12.2019
डीजी परिपत्र सं0-07/2019 दि0 21.01.2019
डीजी परिपत्र सं0-01/2019 दि0 22.01.2019
डीजी परिपत्र सं0-06/2018 दि0 19.02.2018

2. कतिपय जनपदों में विवेचकों द्वारा जघन्य अपराधों में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान बिना पर्याप्त साक्ष्य/आधार के किसी अभियुक्त का नाम हटाने, बढ़ाने अथवा प्रकाश में लाने एवं धाराओं का विलोपन तथा अल्पीकरण के किये जाने के तथ्य संज्ञान में आये हैं, जिसके सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रकट की गयी है।

3. विवेचकों की मनमानी रोकने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उचित तथा प्रभावी हस्तक्षेप कर पाने के लिये नियमों व आदेशों की कमी नही है। इसके लिये पहले से ही बहुत उपयोगी नियम व परम्परायें प्रचलित हैं यथा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा अपराध रजिस्टर अथवा एसआर पत्रावली में केस डायरी का सार अपने हस्तलेख में अंकित करना, पर्यवेक्षण अधिकारी से भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आदि। समस्या यह है कि पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा इन नियमों एवं परम्पराओं का अनुपालन सुनिश्चित नही किया जा रहा है। पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा विवेचना की दिशा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई सार्थक/स्पष्ट निर्देश अंकित नही किये जा रहे हैं।

4. दं0प्र0सं0 की धारा 158 के प्राविधानों के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा केस डायरी का अनुश्रवण किया जाता है यदि पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा कोई भी बयान अथवा साक्ष्य अप्रसांगिक पाया जाता है अथवा किसी अतिरिक्त बयान अथवा साक्ष्य को विवेचना के हित में आवश्यक पाया जाता है तो तद्नुसार अपराध रजिस्टर में कारण सहित अपना **Observation** अंकित करते हुए विवेचक को स्पष्ट निर्देश भेज सकता है। पर्यवेक्षण अधिकारी के किसी भी वैध आदेश का विवेचना के दौरान विचार किया जाना विवेचक के लिये अनिवार्य होता है।

5. मुख्यालय स्तर से निरन्तर विवेचना के सम्बन्ध में अत्यन्त सार्थक दिशा-निर्देश निर्गत होते रहे हैं और दं0प्र0सं0 एवं पुलिस रेग्युलेशन में भी विस्तार से सारी प्रक्रिया अंकित की गयी है। जबतक

इन कानूनों, नियमों तथा निर्देशों का अनुपालन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नहीं कराया जायेगा तबतक विवेचना की गुणवत्ता में सुधार नही किया जा सकेगा।

6. पर्यवेक्षण अधिकारी किसी अभियुक्त का नाम हटाने, बढ़ाने अथवा प्रकाश में लाने एवं धाराओं का विलोपन तथा अल्पीकरण के किये जाने के तथ्य प्रकाश में आने पर विवेचक के कार्य को गलत अथवा बिना पर्याप्त साक्ष्य के पाता है तो पर्यवेक्षण अधिकारी कारण सहित अपनी आपत्ति दर्ज करने तथा तद्नुसार विवेचक को स्पष्ट निर्देश देने के अधिकृत है। यदि विवेचक द्वारा उन निर्देशों का अनुपालन नही किया जाता है अथवा अनुपालन न करने का कोई समुचित कारण प्रस्तुत नही किया जाता है तो पर्यवेक्षण अधिकारियों को कार्यवाही करने, उनकी सत्यनिष्ठा रोकने तथा विवेचना किसी अन्य विवेचक को सुपुर्द करने का पूर्ण अधिकार है।

7. अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि पर्यवेक्षण अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकारीगण अपने प्रशिक्षण, अनुभव तथा कानूनी ज्ञान का उपयोग करते हुए विवेचनाओं की गुणवत्ता के स्तर में सुधार हेतु प्रभावी तथा सार्थक हस्तक्षेप करेंगे। निष्पक्ष व गुणवत्तापरक विवेचना सुनिश्चित कराना और विवेचनाओं का तत्परता से निस्तारण करके ससमय प्रकरण को मा0 न्यायालय तक पहुँचाने का कार्य पुलिस अधिकारी के रूप में आप सबका दायित्व है।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

6.6.24

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज,
   उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी/ईओडब्लू/यूपीपीसीएल/साइबर क्राइम, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/अभियोजन/रेलवेज/एसीओ/एटीएस, उ0प्र0 लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4.पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।